OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER AMBIKAPUR Ref. No./Ambikapur/Affiliation/2005-06/ 24 95

Date 29-6-05

To.

The Assistant Director, D.P.I. Raipur, Chhattisgarh

Subject :- Regarding NOC for CBSE Affiliation, MVM Ambikapur.

Honble Sir.

With reference to the letter no. /Vidya/CBSE./NOC/05/ -6-05, the objection has been rectified through the following points.

- 1996-97 is the starting year of school building construction of Maharishi 1. Vidya Mandir Ambikapur & School established on 01-04-2000 but classes started from 01-07-2000 from class I to IV. As we know, there is no need to give permission to start the school from class I to IV. So permission had been granted on 01-10-2001. The school Managment had already intimated office for starting the school in the year '2000'.
- It is duly signed by the authority in the school Managment Committee. 2.
- Audit Report of 2000-01, 2001-02, 2002-03 & 2003-04 is enclosed and 3. audit for the session 2004-05 is in process at Noida, New Delhi. Letter is attached

This is for your kind information and necessary action please. Thanking you.

2496

Copy to: Principal, Maharishi Vidya Mandir, Ambikapur

District Education

Your's

District Ambikapur, Surguja (C

3

अनापत्तिप्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि महर्षि विद्या मंदिश का विद्यालय भवन ग्राम शकालो, अम्बिकापुपर में एक ही श्यान पर निर्मित है। विद्यालय की शमस्त कक्षाएं एक ही भवन में शंचालित होती हैं। विद्यालय एवं विद्यालय परिशर के भूमि से कोई आपित नहीं है।

मैं संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

(राजेश शाही) (गुरुल, तहसीलदीर एवं कीर्यपालिक किवनापुर, पट्युजा (ज्तीका) दण्डाधिकारी आम्बकापुर, सरगुजा

Andne Prakash Wad Master MVM Imbikapur (g. 0.)

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

कमांक / विद्या / सी.बी.एस.ई. / अना. / 2005 / प्रति

रायपुर दिनांक

सचिव छत्तीसगढ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर

विषयः अशासकीय महर्षि विद्या मंदिर अम्बिकापुर जिला सरगुजा में सी.वी.एस.ई. पाठ्यकम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत्।

संदर्भः जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र कमांक 10389/संबद्धता/अम्बिकापुर/2005

दिनांक 6/12/2004

अशासकीय महर्षि विद्या मंदिर अम्बिकापुर में सी.वी.एस.ई पाठ्यक्रम संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ हैं यह संस्था म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्धारित नीति आदेश क्रमांक 73-28/99/20-5 भोपाल दिनांक 24/09/1999 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन सभी कंडिकाओं की पूर्ति करती हैं।यदि संस्था को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापित्त प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैं तो संचालनालय को कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु विद्यालय की कार्यकारणी समिति के निर्णायक मंडल में छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि अवश्य होगा।

अतः उक्त संस्था में सी.बी.एस.ई. पाठ्यकम संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित हैं। संलग्नः उपरोक्तानुसार

संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ

पृष्ठांकन कमांक / विद्या / सी.बी.एस.ई. / अना. / 2005 458 राज्य दिन कि 03/10/2005 प्रतिलिपिः

 जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर को संदर्भित पत्र के अनुकम में सूचनार्थ। अशासकीय महर्षि विद्या मंदिर अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ।

संचालक 30, 9,05 भारतीसगढ़

छत्तीसगढ-शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालयः दाऊ कल्याणसिंह भवन-रायपुर

क्रमांक एफ 4-22/2005/20 प्रेषक:- एल.पी.दाण्डे, अवर सचिव, रायपुर,दिनांक 28.10.2005

प्रेषिती:-

सचिव,

कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय महर्षि विद्या मंदिर अंबिकापुर, जिला सरगुजा को सी.बी.एस.ई. पाठ्यकम संचालन हेतु स्वीकृति / अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने बावत् ।

महोदय,

गढ शार

शिक्षा विभाग

राज्य शासन द्वारा, अशासकीय विद्या मिहिस अंबिकापुर, जिला सरगुजा को सी.बी.एस.ई. पाठ्यकम संचालन हेतु स्वीकृति/अनापित प्रमाण-पत्र इस शर्त पर दिया जाता है कि विद्यालय की कार्यकारिणी समिति के निर्णायक मंडल में छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि अवश्य शामिल किया जाय ।

च च च घन्यवाद

संलग्न:-नस्ती ।

ALLE THE STATE OF THE STATE OF THE

् (र,्ंिज पत्र देन

मवदीय

(एल.पी.दाण्डे) मदिर आं गपुर, जिल्ला अवर सचिव

फत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर,दिनांक 28.10.2005

पृ. क्रमांक एफ 4-22/2005/20 प्रतिलिपि:-

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छुँगै, रायपुर,

2. जिला शिक्षा अधिकारी, अंबिकापुर-सरगुजा,

प्राचार्य, अशासकीय महर्षि विद्या मंदिर, अबिकापुर, जिला सरगुज्य,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

उल्लेखगढ़ जारत का ता वर्गात विकास करने

छ रा रा